कार्यालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025/157
दायरा तिथि : 16.04.2025
आदेश तिथि : 03-06-2026
प्रार्थी :–

नेनूदेवी पत्नी बाबुलाल सरेल जाति मेघवाल निवासी बारवा तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. कैलाश कुमार पुत्र मोटाराम
2. नेनु पत्नी मोटाराम
3. मुकेश कुमार पुत्र मोटाराम जातिगण मेघवाल निवासीगण करनवा तहसील बाली
4. लखमाराम पुत्र निम्बाजी जाति मेगवंशी निवासी करनवा तहसील बाली
5. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी (तहसीलदार) बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक 03-06-2026

प्रार्थी ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सेवाड़ी पटवार हल्का सेवाड़ी तहसील बाली के खसरा नंबर 2359 रकबा 0.4600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम सेवाड़ी पटवार हल्का सेवाड़ी तहसील बाली के खसरा नंबर 2356 रकबा 0.6000 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम–68(1) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण मे निरीक्षक भू–अभिलेख सेवाड़ी को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि आवेदक खातेदार की धारित खातेदारी भूमि के वांछित बिन्दु तक आवागमन हेतु कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से निकटतम मार्ग खसरा नंबर 2358/2 तथा खसरा नंबर 2357/2 में से रास्ता दिया जाना एकमात्र विकल्प है।
2. यह है कि खसरा नंबर 2357/2 रकबा 0.24 हैक्टर एवं खसरा नंबर 2358/2 रकबा 0.21 हैक्टर में से संलग्न नक्शा में प्रदर्शित ही सबसे निकटतम रास्ता है।
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	2357/2	0.24	बारानी अव्वल	86X04=344 वर्गमीटर	कैलाश कुमार पुत्र मोटाराम वगैरा, जातिगण मेघवाल, निवासीगण सेवाड़ी
2	2358/2	0.21	बारानी अव्वल	78X04=312 वर्गमीटर	कैलाश कुमार पुत्र मोटाराम वगैरा, जातिगण मेघवाल, निवासीगण सेवाड़ी

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण / वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।
5. यह है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम सेवाड़ी पटवारी हल्का सेवाड़ी की डी.एल.सी. दर 6,60,561/– रूपये प्रति हैक्टर है।

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मे वर्णित अनुसार रास्ता प्रस्तावित नहीं करते हुये खसरा नंबर 2357/2 व खसरा नंबर 2358/2 की भूमि से रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। खसरा नंबर 2357/2 व खसरा नंबर 2358/2 के खातेदार

पेज लगातार____02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2025/157

अनदान मेनुदेवी बनाम लखमाराम वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण मे हितबद्ध पक्षकार होने से इन खसरा नंबर के खातेदार को प्रकरण मे बतौर अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया। न्यायालय आदेश की पालना मे वकील प्रार्थी ने संशोधित शीर्षक प्रस्तुती के साथ नव सृजित अप्रार्थीगण अर्थात् खसरा नंबर 2357/2 व 2358/2 के खातेदारी की तलबी हेतु नोटिस पेश किये। नव सृजित पक्षकार अप्रार्थी संख्या 01 व 03 की ओर से वकील श्री दिनेश गहलोत ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 02 बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय मे वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से वकील श्री गंगाराम चौहान ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 01 व 03 के अधिवक्ता श्री दिनेश गहलोत ने आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार, बाली व उसके प्रतिनिधियो ने खसरा नंबर 2356 के खातेदार से दुरभी सधी कर अपने स्तर से अप्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2357/ व 2358/2 की भूमि को खुर्द बुर्द करने के ईरादे से गलत रिपोर्ट पेश की है। अप्रार्थी ने अपनी आपत्ति मे खसरा नंबर 2360 व 2361 की भूमियां प्रार्थी के खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिये रास्ते हेतु उपयुक्त व नजदीक होने से खसरा नंबर 2360 व 2381 मेसे रास्ता दिये जाने व प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिया जाना नियमो के विरूद्ध होने से रास्ते का आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 03 के अधिवक्ता श्री दिनेश गहलोत की प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वाणुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम सेवाडी पटवार हल्का सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 2359 रकबा 0.48 हैक्टर की भूमि मे आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान मे उपलब्ध नही होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् खसरा नंबर 2357/ व 2358/2 की भूमि मेसे नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है। इन खसरा नंबर के खातेदारान् द्वारा आपत्ति करते हुये खसरा नंबर 2360 व 2361 मेसे रास्ता दिये जाने की दलील दी गई है, परन्तु अपनी आपत्ति के समर्थन मे ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया है, जो यह प्रमाणित करे कि आपत्ति मे वर्णित रास्ता निकटतम हो तथा तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे वर्णित रास्ता दूरी का हो। तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा से भी इसकी पुष्टि नही होती है। प्रार्थी का उक्त प्रकरण धारा 251 ए के तहत रास्ता का है, जो समरी प्रोसिडिंग्स की श्रेणी मे आता है, ऐसे प्रकरणो मे बार बार आपत्तियो के अनुसार प्रकरण को डिले किया जाना न्याय संगत नही है। तथा साथ ही प्रस्तुत आपत्तियां सारहिन होने से खारिज की जाती है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांकप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सेवाडी पटवार हल्का सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 2359 रकबा 0.48 हैक्टर की भूमि मे आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की खातेदारी भूमि ग्राम सेवाडी पटवार हल्का सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 2357/2 रकबा 0.24 हैक्टर व खसरा नंबर 2358/2 रकबा 0.21 हैक्टर मे से **344+312=656 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली **द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर मे	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 6,60,561/– रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
2357/2	0.24	86X04=344 वर्गमीटर	67	23048X2=46096	कैलाश कुमार पुत्र मोटाराम वगैरा, जातिगण मेघवाल, निवासीगण सेवाडी
2358/2	0.21	78X04=312 वर्गमीटर	67	20904X2=41808	कैलाश कुमार पुत्र मोटाराम वगैरा, जातिगण मेघवाल, निवासीगण सेवाडी

पेज लगातार......02

Scanned with OKEN Scanner

//03//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2025/157

अनवान नेनूदेवी बनाम सरकारान वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रस्तावित रास्ता मे अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 87904/– (अठ्ठासी सत्तासी हजार नौ सौ चार रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि प्रभावित खातेदारान् को अदा की जावेगी। प्रभावित खातेदारान् द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा मे तहसील कार्यालय मे बतौर प्रतिभूति जमा करवाई जावेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड मे बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(विमल सिन्देई)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली

क्रमांक/कोर्ट/2026/ 899-903

दिनांक : 05-6-2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
1. निरीक्षक भू0अ0 सेवाड़ी
2. पटवारी हल्का, सेवाड़ी
3. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
4. आवेदक श्रीमती नेनूदेवी पत्नि बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी सेवाड़ी तहसील बाली को सूचनार्थ।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.) *

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

N

ग्राम - सेवाड़ी

नज़री नक्शा

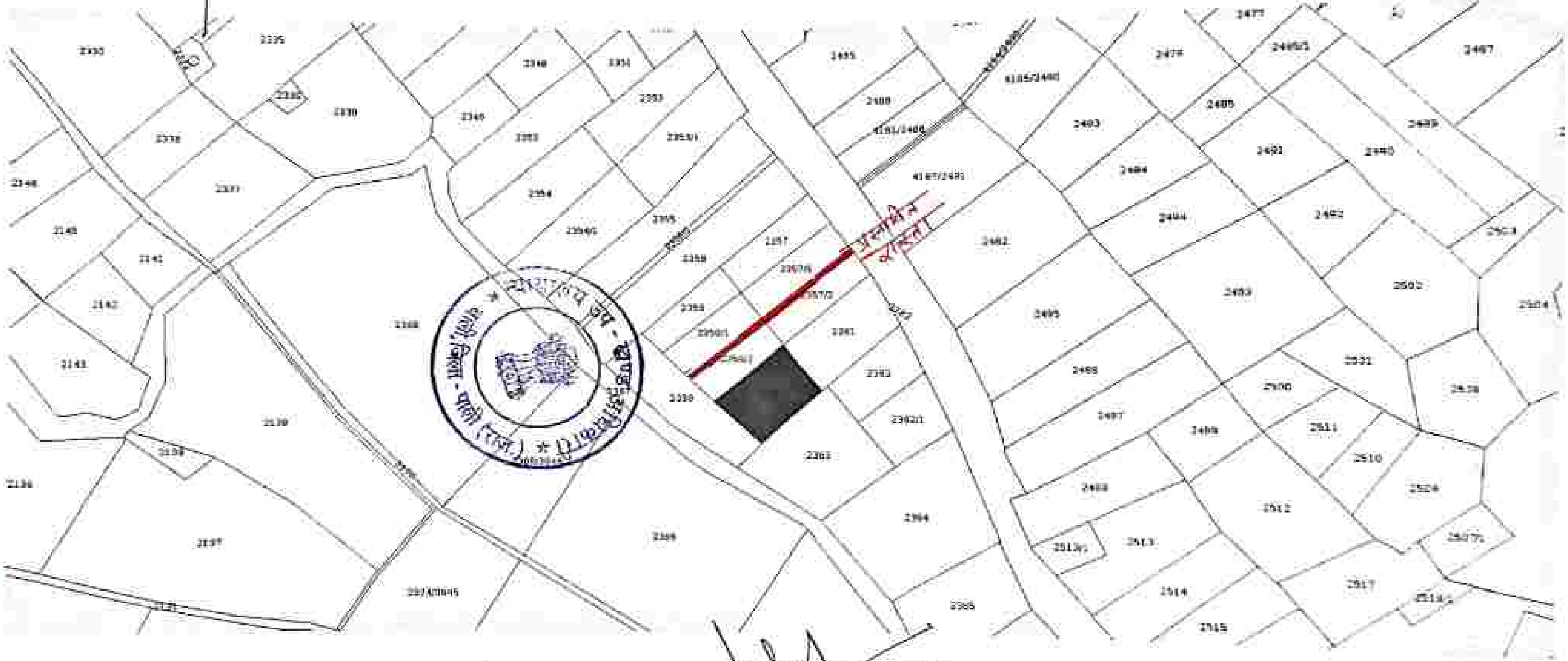

तहसीलदार, बाली

[illegible] KUMAR BOYAL
I. LAND INSPECTOR (L.R.)
CIRCLE-SEWARI, TEH.-BALI
DIST.-PALI (RAJ.)

Scanned with OKEN Scanner